



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20022026-270363
CG-DL-E-20022026-270363

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 889]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 19, 2026/माघ 30, 1947

No. 889]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 19, 2026/MAGHA 30, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2026

का.आ. 931(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में NH227A के कि.मी. 130 से कि.मी.150 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी (सं.सं.), गोरखपुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच

करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में NH-227A के कि.मी. 130 से कि.मी. 150 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: गोरखपुर		
क्रमिक संख्या 1	सर्वेक्षण संख्या 2	भूमि का प्रकार 3	भूमि की प्रकृति 4	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई) 5	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर) 6
तालुक का नाम: गोला					
गांव का नाम: बारीडीहा त-हवेली					
1	171	निजी	कृषि	0.012 (हेक्टेयर)	0.0120000
2	68	निजी	कृषि	0.0156 (हेक्टेयर)	0.0156000
गांव का नाम: रामपुरगनेशी त-हवेली					
3	177	निजी	कृषि	0.0259 (हेक्टेयर)	0.0259000
गांव का नाम: खडेसरी एह. त-सिकन्दर					
4	2	निजी	कृषि	0.038 (हेक्टेयर)	0.0380000
5	3	निजी	कृषि	0.31 (हेक्टेयर)	0.3100000
6	4	निजी	कृषि	0.004 (हेक्टेयर)	0.0040000
गांव का नाम: नेतवर पट्टी सु.					
7	287	सामान्य (निजी/सरकारी)	कृषि/सड़क	0.0832 (हेक्टेयर)	0.0832000
8	288	निजी	कृषि	0.1177 (हेक्टेयर)	0.1177000
9	293	निजी	कृषि	0.0047 (हेक्टेयर)	0.0047000
10	294	निजी	कृषि	0.283 (हेक्टेयर)	0.2830000
11	295	सामान्य (निजी/सरकारी)	कृषि/सड़क	0.0925 (हेक्टेयर)	0.0925000
12	296	निजी	कृषि	0.0024 (हेक्टेयर)	0.0024000
गांव का नाम: नेतवर पट्टी एह.					
13	43	निजी	कृषि	0.145 (हेक्टेयर)	0.1450000
14	65	निजी	कृषि	0.1011 (हेक्टेयर)	0.1011000
कुल योग					1.2351000

[फा. सं. CE-/LKO/NH(O)/NH-227A/2021-22/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2026

S.O. 931(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH227A in the stretch of land from Km. 130 to Km. 150 in the district of GORAKHPUR in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer (J.O), Gorakhpur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH227A in the stretch of land from Km. 130 to Km. 150 in the district of GORAKHPUR in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: GORAKHPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Gola					
Village: Baareedeeha Ta-Havelee					
1	171	Private	Agriculture	0.012 (Hectare)	0.0120000
2	68	Private	Agriculture	0.0156 (Hectare)	0.0156000
Village: Raamapuraganeshee Ta-Havelee					
3	177	Private	Agriculture	0.0259 (Hectare)	0.0259000
Village: Khadesaree Eh. Ta- Sikandar					
4	2	Private	Agriculture	0.038 (Hectare)	0.0380000
5	3	Private	Agriculture	0.31 (Hectare)	0.3100000
6	4	Private	Agriculture	0.004 (Hectare)	0.0040000
Village: Netavar Pattee Mu.					
7	287	Common (Private/Government)	Agriculture/Road	0.0832 (Hectare)	0.0832000
8	288	Private	Agriculture	0.1177 (Hectare)	0.1177000
9	293	Private	Agriculture	0.0047 (Hectare)	0.0047000

10	294	Private	Agriculture	0.283 (Hectare)	0.2830000
11	295	Common (Private/Government)	Agriculture/Road	0.0925 (Hectare)	0.0925000
12	296	Private	Agriculture	0.0024 (Hectare)	0.0024000
Village: Netavar Pattee Eh.					
13	43	Private	Agriculture	0.145 (Hectare)	0.1450000
14	65	Private	Agriculture	0.1011 (Hectare)	0.1011000
Total					1.2351000

[F. No. CE-/LKO/NH(O)/NH-227A/2021-22/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director